पत्र संख्या– 15/डी0 एल0 ए0 पटना (रा0उ0प0) 15/13-1715/रा० दिनांक-02-07-1

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

पटना, तारीख........................

सं...रा0 चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–गोनवाँ चादर नं०–02, थाना नं०–135, सर्वे थाना विक्रम, जिला–पटना मे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात दिहटा–सरमेरा राज्य उच्च पथ सं0–78 के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए, इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–गोनवाँ चादर नं०–02, थाना नं०–135 के भीतर भूमि का एक टुकडा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश 1.17 एकड के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या 1788, 1814 सभी अंश भाग है और जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है–

उत्तर	:	खेसरा संख्या–1796 अंश एवं 1814 अंश
पूरब	:	खेसरा संख्या–2221 पूर्ण, 2222 अंश एवं 2194 अंश,
दक्षिण	:	खेसरा संख्या–1788 अंश एवं 1796 अंश,
पश्चिम	:	खेसरा संख्या–1789 अंश एवं 1813 अंश,

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना और उनके कर्मचारिया तथा इस परियोजना से संबद्ध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे **उप महाप्रबंधक, तकनीकी, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिहार स्टेट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0, बिहारशरीफ**, के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A के उपबंध लागू नहीं होंगे।

समाहर्त्ता
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अपर सचिव

E:BSRDC/BARAST ONLY/ADH SOOCHNA

ज्ञापांक संख्या– 15/डी0 एल0 ए0 पटना (रा0उ0प0)–15/13 – 1715 /रा0, दिनांक–02-07

ज्ञापांक सं0– दिनांक:

1. प्रतिलिपिः– तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदा०, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपिः– प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5–5 प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के [illegible] सचिव।